

राजकीय स्व-सहायता  
नियमों के अन्तर्गत



A-6776  
24/12/12

समक्ष श्रीमान अध्याय महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर सागरके मा

श्रीमति राजकुमारी सुडोतिया पति स्व. श्री राजेन्द्र सुडोतिया उम्र 35 व

निवासी- ग्राम- हनोता पारीक्षत तहोव जिला सागर म.प्र.

- पुनरीक्षणकर्ता

R-47-II/13

॥ विच्छ ॥

अभिषेक बन्ध श्री पुष्पोत्तम सुडोतिया

निवासी- ग्राम हनोता पारीक्षत तहोव जिला सागर

- अनावेदक

क्रमांक 3756

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त रा. प्र. कं.

प्रस्तुत दिनांक- 15/12/12

क  
दिनांक 24/12/12  
राजस्व मंडल ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959


पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महो  
सागर सर्किल नरयावली द्वारा रा. प्र. क्रं. 4231/6 वर्ष 09-10 में पारित  
आदेश दिनांक 26. 10. 12 से दृष्टित होकर विधि एवं तथ्यों के आधार प  
निम्न पुनरीक्षण श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने रा  
अभिषेक बन्ध के आधार पर मौजा हनोता पारीक्षत सर्किल नरयावली  
तहोव जिला सागर की भूमि खं० 8 1/2 रकबा 4. 24 एकड़ का नामां  
तरण हेतु प्रस्तुत किया था उक्त भूमि बसीयत दिनांक 01. 02. 1995  
को पुनरीक्षणकर्ता के पति राजेन्द्र के नाम थी जो कि राजेन्द्र कुमार को  
कारिवांशिक बटवारा स.प. कं. 3 आदेश दिनांक 23. 11. 81 के द्वारा  
प्राप्त हुई थी राजेन्द्र की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि प्रेमनारायण ने बद  
के दौरान अपने नाम से करा ली उक्त त्रुटि सुधार कर प्रकरण भी इसी




29-4-14  
(1131)

निगरानीकर्ता श्रीमान् श्री रामप्रसाद  
अवस्थित। उनके हाथ यह निवेदन किया गया  
कि नाथन तहसीलदार नरिचलवादी के प्रकरण  
क्रमांक 42/अ 6/09-10 में पारित अंतिम आदेश  
दिनांक 26-2-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की-थी। चूंकि  
प्रकरण में नाथन तहसीलदार के यहाँ अंतिम  
आदेश हो चुका है, अतः निगरानी का कोई  
आवश्यक नहीं होने से, उ-एन इश-एल-एल  
समाप्त किन्तु जाने का निवेदन किया अतः  
श्रीमान् के अनुरोध पर प्रकरण इश-एल-एल  
पर समाप्त भी-जाती है।

  
(अनांक निवेदन)  
28-2-14

  
29/4/14

[कृ. प. उ.]

  
15/12/12